

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

कचन नम्बर
172/2015

तारीख दायर
26-05-2015

तारीख फैसला
17/03/2020

राम पुत्र श्री मूलचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम गोठडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

उनवान

—:: वादी

बनाम

तूराम
रजीलाल
खराम
लसिंह पुत्रान मूलचन्द
लसिंह
रेन्द्र

तनसिंह पुत्रान विशम्बरदयाल

लाराम पुत्र चुहडमल जातियान अहीर निवासी गोठडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

मीमान् तहसीलदार साहव तिजारा जिला अलवर (राज0) बहैसियत भूमिधारी अधिकारी तिजारा जिला अलवर (राज0)

शाखा प्रबन्धक, एस0वी0वी0जे0 बैंक शाखा किशनगढ-बास जिला अलवर

सन्तरा पुत्री श्री मूलचन्द पत्नी जगमाल जाति अहीर निवासी ग्राम गोठडा तहसील तिजारा जिला अलवर, हाल आवाद दरवारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0)

—:: असल प्रतिवादीगण

—:: तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

--: निर्णय :-

प्रकरण के सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने यह दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल खसरा नम्बर 648 रकवा 0.53 है0, 649 रकवा 0.53 है0 किता 2 कुल रकवा 1.06 है0 वाके ग्राम तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है।

प्रकरण में दिनांक 15.06.2016 को राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प न्याय आपके द्वार 2016 में प्रारम्भिक जारी कर तहसीलदार तिजारा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर वाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बटवारा स्कीम तैयार कर रिपोर्ट कुरे तलब की गई। प्रकरण में वादी ने पुनः बटवारा स्कीम तलब करने का



मया प्रकरण में मूल तहसीलदार विजारा का अंशदान जारी कर संदर्भित नकीम सैयार कर रिपोर्ट
 को आवेश जारी किया गया।


तहसीलदार विजारा ने अपने पत्र क्रमांक एलआर/15/19/50/19 दिनांक 04.12.2019 के द्वारा
 रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी। कृपया रिपोर्ट का अंशदान किया जाय। दावा फाईनल टिकी किया जाना उचित

दावा वादी फाईनल टिकी किया जाता है निम्न अनुसार आसजी डाल खसरा नम्बर 648 रकबा 0.53
 रकबा 0.53 है। कुल रकबा 1.55 है। लक्रे काल सीटडा तहसील विजारा जिला अलवर (राज0)
 के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं।

नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
मूलसिंह विरेंद्रसिंह रामसिंह पुत्रान विरामकर दयाल 1/2 तुलाराम पुत्र	648	0.27
मुहम्मद 1/2 कौम अहीर सा0 देह खातेदार रविचंद्र मूलचन्द कौम अहीर	649	0.26
वास	किता 2	0.53
मंगतराम विरेंजीलाल सिंह सुखराम पुत्रान व रमेश पुत्री मूलचन्द कौम अहीर	648/2	0.22
सा. देह खातेदार	649/2	0.23
हरिराम पुत्र मूलचन्द कौम अहीर सा0 देह खातेदार	किता 2	0.45
	648/1	0.04
	649/1	0.04
	किता 2	0.08

तकरीम शुद्ध नक्शा फाईनल टिकी का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावे।
 की जारी हो।

आदेश सुनाया गया।


 (के0 राम यादव)
 उपखण्ड अधिकारी,
 विजारा (अलवर)

जयसिंग प्रसाद अधिकारी तिजारा (अलवर) राज०
 पीठाधीन अधिकारी के० राम यादव (आर०ए०ए०)

तारीख वापस
 26-09-2015
 उममान

तारीख फैसला
 17/03/20

श्री मूलचन्द जति अहीर निवासी ग्राम गोठडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज०)

—:: वादी

बनाम

श्री मूलचन्द जति अहीर निवासी ग्राम गोठडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज०)
 श्री मूलचन्द जति अहीर निवासी ग्राम गोठडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज०)
 श्री मूलचन्द जति अहीर निवासी ग्राम गोठडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज०)
 श्री मूलचन्द जति अहीर निवासी ग्राम गोठडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज०)
 श्री मूलचन्द जति अहीर निवासी ग्राम गोठडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज०)

श्री मूलचन्द जति अहीर निवासी ग्राम गोठडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज०)
 श्री मूलचन्द जति अहीर निवासी ग्राम गोठडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज०) वहेसियत भूमिधारी अधिकारी तिजारा जिला अलवर (राज०)

शाखा प्रबन्धक, एस०बी०बी०जे० बैंक शाखा किशनगढ़-बास जिला अलवर

—:: असल प्रतिवादीगण

श्री मूलचन्द प्रती जगमाल जति अहीर निवासी ग्राम गोठडा तहसील तिजारा जिला अलवर,
 काल आवाद दरवारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज०)

—:: तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा लकासमा मय हुकमदमतनाई दवामी
 अन्तर्गत धारा 58 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: प्रती लिखी :-

आशुजी काल खसरा नम्बर 648 रकबा 0.53 है०, 649 रकबा 0.53 है० किता 2 कुल रकबा 1.06 है० वाके गोठडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज०) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते

क्र०	नाम खालेदार	खसरा नम्बर	रकबा
01.	मूलसिंह त्रिभुवनसिंह रतनसिंह पुत्रान विशम्बर दयाल 1/2 तुलाराम पुत्र दुहडमल 1/2 कौम अहीर सा० देह खालेदार रहिन एस.बी.बी.जे. किशनगढ़ बास	648	0.27
		649	0.26
		किता 2	0.53

(Handwritten signature)

। चिरंजीलाल सिंह सुखराम पुत्रान व सन्तरा पुत्री मूलचन्द कोम अहीर खातेदार	648/2	0.22
	649/2	0.23
	किता 2	0.45
। पुत्र मूलचन्द कोम अहीर साठ देह खातेदार	648/1	0.04
	649/1	0.04
	किता 2	0.08

म शुद्ध नक्शा फाईनल डिकी का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावे।
। सुनाया गया।

(के० राम प्रदव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)